राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
☎ : 0141-2385027(O), Fax: 0141-2385027
E-Mail ID: rajpr_dsplan@rediffmail.com

क्रमांकःएफ.4( ) परावि/आप्र/PEAIS/2014-15/1116 जयपुर, दिनांकः 18-10-17

:: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ::

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक N-11019/30/2016-Planning /Governance-Part (2) (vi) दिनांक 30.08.2017 के द्वारा दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP) योजना वर्ष 2017 के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को निम्नानुसार पुरस्कार राशि स्वीकृत की गई हैः–

क्रम संख्या	पंचायती राज संस्था का नाम	पुरस्कार राशि (लाख रूपये में)
1.	जिला परिषद गंगानगर, जिला गंगानगर	50.00
2.	पंचायत समिति धोंद, जिला सीकर	25.00
3.	पंचायत समिति झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं	25.00
4.	ग्राम पंचायत नारी, पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं	8.00
5.	ग्राम पंचायत नेतड़वास, पंचायत समिति धोंद, जिला सीकर	12.00
6.	ग्राम पंचायत सावंतसर, पंचायत समिति पदमपुर, जिला गंगानगर	8.00
7.	ग्राम पंचायत रसूलपुर, पंचायत समिति खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं	8.00
	योग	136.00

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उक्त राशि पंचायती राज विभाग के बचत बैंक खाता संख्या– 61179878181 में अन्तरित की जा चुकी है।

योजनान्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार स्वरूप स्वीकृत उक्त राशि रूपये 1,36,00,000 (अक्षरे एक करोड़ छत्तीस लाख मात्र) को विभाग के बचत बैंक खाता संख्या– 61179878181 से आहरित कर संलग्न विवरणानुसार सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं को डिमान्ड ड्राफ्ट के जरिये हस्तान्तरित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थायें, विभाग की ओर से जारी की गई संलग्न मार्गदर्शिका के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए कर सकेंगी।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सी.एम.मीना)
संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. श्री पुनीत शर्मा, अवर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, पंचायती राज विभाग को राशि का बचत बैंक खाते से आहरण कर संलग्न परिशिष्ट अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को भुगतान की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–गंगानगर, झुन्झुनूं एवं सीकर।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति धोंद (सीकर) एवं झुन्झुनूं (झुन्झुनूं)।
8. ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत– 1. नारी, पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं, 2. ग्राम पंचायत नेतड़वास, पंचायत समिति धोंद, जिला सीकर 3. ग्राम पंचायत सावंतसर, पंचायत समिति पदमपुर, जिला गंगानगर 4. ग्राम पंचायत रसूलपुर, पंचायत समिति खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)

दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना (DDUPSP) वर्ष 2017 के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित की जाने वाली राशि का विवरणः—

क्रम संख्या	डिमान्ड ड्राफ्ट जिसके नाम से जारी किया जाना है	राशि (लाख रूपये में)
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद गंगानगर, जिला गंगानगर	50.00
2.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति धोंद, जिला सीकर	25.00
3.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं	25.00
4.	ग्राम पंचायत नारी, पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं	8.00
5.	ग्राम पंचायत नेतड़वास, पंचायत समिति धोंद, जिला सीकर	12.00
6.	ग्राम पंचायत सावंतसर, पंचायत समिति पदमपुर, जिला गंगानगर	8.00
7.	ग्राम पंचायत रसूलपुर, पंचायत समिति खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं	8.00
	योग	**136.00**

संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)

पुरस्कार राशि के उपयोग हेतु मार्गदर्शिका :—

योजना की कार्यकारी एजेंसी एवं मॉनेटरिंग—

(i) राज्य स्तर पर इस योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मॉनेटरिंग जिला आयोजना प्रकोष्ठ, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा की जावेगी।

(ii) जिला स्तर पर योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मॉनेटरिंग मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्य आयोजना अधिकारी करेंगे।

(iii) पुरस्कार राशि से करवाये जाने वाले कार्यो के लिये कार्यकारी एजेन्सी सम्बन्धित पुरस्कृत संस्था ही होगी।

पुरस्कार राशि कहाँ व्यय हो सकेगी—

(i) पुरस्कृत पंचायती राज संस्थाएं अपने कार्यालय परिसर में सभा भवनों को सुसज्जित करने तथा कार्यालय की क्षमता वृद्धि हेतु आवश्यतानुसार फोटोस्टेट मशीन, कम्प्यूटर, फर्नीचर, प्रिन्टर, इन्टरकॉम, इन्टरनेट, लेपटॉप, प्रोजेक्टर, ए.सी., कूलर, पर्दे, माइक सिस्टम, सफेदी, वाटर कूलर, आर.ओ. आदि सुविधाओं पर राशि व्यय कर सकती हैं।

(ii) पुरस्कार राशि का उपयोग पुरस्कृत संस्था द्वारा नियमानुसार किया जा सकेगा। इस हेतु कराये जाने वाले कार्यो का अनुमोदन पुरस्कृत संस्थाओं की साधारण सभाओं में लिये जा सकेंगे।

(iii) चूंकि उक्त राशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करवाई जा रही है अतः पंचायती राज संस्थाएं उनके क्षेत्र विशेष के लिये ऐसे कार्यो को क्रियान्वित करवा सकेंगी जो उक्त पंचायती राज संस्था के परिपेक्ष्य में औचित्यपूर्ण एवं प्रत्यक्षतः जनहित से जुड़े हुए है।

(iv) इस योजना से किसी पंजीकृत संस्था अथवा ट्रस्ट, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक कार्यो अथवा व्यक्तिगत परिसम्पत्तियाँ बनान्ने के लिए राशि नहीं दी जा सकेगी। राशि का व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

कार्यो की स्वीकृति—

(i) कार्यो की तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जावेगी।

(i) तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जारी करेंगे जिसके अनुसार सम्बन्धित संस्था द्वारा राशि का उपयोग किया जायगा।

उपयोगिता प्रमाण—पत्र एवं लेखा संधारण—

योजनान्तर्गत व्यय के लेखे सम्बन्धित पंचायती राज संस्था द्वारा संधारित किये जावेंगे। राशि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण—पत्र एवं व्यय के मदों का विवरण संस्था द्वारा पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत किया जाये। व्यय विवरण का सत्यापन चाटर्ड एकाउन्टेंट से कराये जाना आवश्यक होगा।

संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)

D:\New D Planning\Lp Gupta\Puraskaar\Latter.docx